

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/10/12 — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/10/11 दिनांक 30.07.2019 जारी की गई थी।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

(3) तदपश्चात् छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16—ग की उप—धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” की कंडिका 08—प्रबंध को छोड़कर, कंडिका—5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र./एफ 15—35/15—02/2019/1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05—(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत “प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची—एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05—(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची — एक, दो एवं तीन को जारी करता है। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई—मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची—एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :— अनुसूची — एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप—सचिव.

**जिला कोरबा छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुर्नगठन योजना 2019
अनुसूची-एक**

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	लाफा	घुईचुंवां, भरुवामुड़ा, कपोट	चैतमा
2	दुरपा	सेमीपाली, सुमेधा, नागीनभांठा, सलियाभांठा, लाटा, अंगारखार, केंदईखार, कुमगरी	छुरीकला

अनुसूची – दो जिला कोरबा

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	सुखरीकला	फरसवानी	टोण्डा
			लीमगांव
			दर्भाठा
			खरवानी
			फरसवानी
			सराईपाली
			रीवापार
			जमनीपाली
2	कोरबी	पिपरिया	पिपरिया
			समलाई
			कुम्हारीदर्री
			अमलीबहरा
			सिरी
			पोडीकला
			धौरामुडा
			कोडगार
3	पोडी उपरोडा	मोरगा	मोरगा
			केतमा
			केन्दई
			धजाक
			भुलसीभवना
			खिरटी
			उचलेंगा
			पतुरियाडाढ
			अरसिया
			नवापारा (अरसिया)
			टुठीपिपर
			गिध्दमुडी
			सिरीआमा
			मदनपुर
			पुटा
			साखो

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
4	भैसमा	तिलकेजा	तिलकेजा पताढी पहंदा सराईडीह खोड्डल कुदुरमाल देवरमाल अखरापाली बरीडीह कटबिटला उरगा सेमीपाली बरबसपुर
5	सोहागपुर	कोथारी	कचोरा कोथारी गितारी महोरा देवलापाठ बीरतराई नवलपुर चिचौली बंजारी
6	बरपाली	कनकी	कथरीमाल कनकी गुमिया जोगीपाली तरदा बैगापाली भादा
7	चिकनीपाली	तुमान	तुमान ढोढातराई जामपानी छापापाट गिधौरी दादरकला जुनवानी कापूपहरी

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
8	हरदीबाजार	कोरबी	कोरबी
			बोकरामुडा
			भलपहरी
			मुक्ता
			धतुरा
			मुडापार
			जोरहाडबरी
			बम्हनीकोना
			खम्हरिया
			पथर्री
			ढोलपुर
9	भिलाईबाजार	अखरापाली	अखरापाली
			भर्राकुडा
			कटसीरा
			भाठीकुडा
			गंगदेई
			बिरदा
			चैनपुर
			सराईसिंगार
			दर्री
			मौहाडीह
			मुढाली
10	रामपुर	नवापारा	नवापारा
			घिनारा
			बोतली
			टेंगनमार
			बेंहरचुआ
			बोकरदा
			खुटाकुडा
			सुअरलोट
			केराकछार

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
11	श्यांग	बरपाली	बरपाली
			कलमीटिकरा
			कटकोना
			बैगामार
			जिल्गा
			बासीन
			तराईमार
			सोल्वां
			छुईढोडहा
			कोल्गा
			फुलसरी
			समरकला
			डीलाडेरा
			लबेद
			डुमरडीह
12	सिरमिना	कुल्हरिया	गिरारी
			गितकुवारी
			कुल्हरिया
			कुरथा
			बुढ़ापारा
			झिनपुरी
			मिसिया
			जजगी
			खम्हारमुड़ा
			भुकभुकी
			पाली
			दुल्लापुर

अनुसूची –तीन

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	पोडी	राहाडीह, तालापार, खैराडुबान, समरकछार	पाली	—
		निरधि, धांवा, रोहिनाडीह, पोलमी, परसदा, बापापुत्ती, सिल्ली, शिवपुर	—	निरधि